भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4717
दिनांक 28 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

आवश्यक दवाओं की कीमतें

4717. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ गई हैं जो जनता के लिए चिंता का विषय है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार फार्मास्यूटिकल उद्योग में कॉर्पोरेट कंपनियों के बढ़ते एकाधिकार को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार फार्मा क्षेत्र में दवाओं की कृत्रिम कमी और उसकी कालाबाजारी की जांच कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ङ) सरकार की जन औषधि योजना से अब तक राज्यवार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर
रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समय-समय पर राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची (एनएलईएम) को अधिसूचित करता है, जिसे औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची-I में शामिल किया गया है। एनएलईएम, 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.09.2022 को अधिसूचित किया गया था और इसे डीपीसीओ, 2013 की संशोधित अनुसूची-I में विधिवत रूप से शामिल किया गया था। औषध विभाग (डीओपी) के तहत राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) को डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार डीपीसीओ 2013 की संशोधित अनुसूची-I में शामिल दवाओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का अधिदेश है। एनएलईएम, 2022 के तहत मूल्यों के पुनर्निर्धारण के कारण औसत मूल्य में लगभग 17% की कमी आई है, जिससे रोगियों को लगभग 3,788 करोड़ रुपए की वार्षिक बचत हुई। इसके अलावा, डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों

के अनुसार, अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्यों को पिछले कैलेंडर वर्ष के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (सभी वस्तुओं) के आधार पर प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को अथवा उससे पहले संशोधित किया जाता है। डब्ल्यूपीआई (सभी वस्तुओं) में वार्षिक परिवर्तन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुसूचित दवाओं के अधिकतम मूल्यों में दिनांक 01.04.2024 से 0.00551% की वृद्धि की गई थी।

(ग): विभाग को ऐसे एकाधिकार के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ): दवाओं की उपलब्धता की निगरानी एनपीपीए द्वारा मुख्य रूप से राज्य सरकारों के औषधि नियंत्रण प्रशासन, मूल्य निगरानी संसाधन इकाइयों (पीएमआरयू) आदि के माध्यम से की जाती है। एनपीपीए ने सूचित किया है कि उसे औषधियों की ऐसी कृत्रिम रूप से सृजित की गई कमी या उनकी कालाबाजारी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ): यह अनुमान है कि औसतन 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन जन औषधि केंद्रों पर आते हैं और वहनीय दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं का लाभ उठाते हैं। इस संबंध में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश-वार आंकड़ें केंद्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****